

घोषण-पत्र

सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता (तीन दिन पूर्व)

मैं..... सुपुत्र/पत्नी/श्री

निवासी.....बोर्ड पंजीकरण संख्या.....

निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरी सुपुत्री.....का विवाह दिनांक.....को श्री.....
सुपुत्र श्री.....निवासी.....के साथ होने निश्चित हुआ है, जिसके लिए मैंने किसी भी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था से शादी के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही इसके लिए मैंने कोई आवेदन किया है।
2. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी पुत्री सुश्री.....(दुल्हन) की आयु 18 वर्ष तथा दुल्हे श्री.....की आयु 21 वर्ष से अधिक है।
3. मैं आज दिनांक.....को पहली/दूसरी/तीसरी पुत्री के लिए बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता स्कीम के तहत आवेदन कर रहा/रही हूँ।
4. मेरी पत्नी/पति द्वारा भी किसी सरकारी विभाग/बोर्ड निगम संस्था से शादी के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन नहीं किया है और न ही करेंगे।
5. मैं अपनी पुत्री के विवाह के छः मास के अन्दर-अन्दर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र विभाग में जमा करवा दूंगा/दूंगी तथा ऐसा न कर पाने की स्थिति में बोर्ड मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं से वंचित करने का अधिकार होगा।
6. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का/की सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड है।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि विभागीय जाँच के दौरान उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई सुपुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता एवं कन्यादान सहायता अनुदान की राशि को मैं लौटाने का बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने, कालीसूची में डालने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार रहेगा।

स्थान: Auto fill

तिथि: Auto fill

